5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

197

-1-

न्यायालय श्रीमान् ~~प्रधान न्यायाधीश~~ महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

नि.प्र.क्रं. नि-1340-II/16 सन् 2016

भारत उदय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

स्थित बड़ी कुजरहटी छतरपुर द्वारा अध्यक्ष राहुल त्रिपाठी

तनय दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, नि0 बड़ी कुंजरहटी वार्ड नं. 28

वास्ते तक्षशिला महाविद्यालय छतरपुर -----------निगरानीकर्ता

बनाम

1– श्रीमती लल्लाबाई कुशवाहा पत्नि प्यारेलाल कुशवाहा
नि0 किदवई वार्ड नं. 15 (पुराना) नया वार्ड नं. 30
नारायण मार्ग– छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.

2– मुस. लाड़कुँवर बेवा हरीचरन कुशवाहा

3– कृष्ण कुमार तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

4– गोविन्द तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

5– पवन तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

6– हृदेश तनय स्व. हरीचरन कुशवाहा

समस्त निवासीगण वार्ड नं. 15 छतरपुर म.प्र. ------------प्रत्यर्थीगण

श्री मुकेश अग्रवाल द्वारा आज दि. 29-4-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-4-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायसालय के प्रकरण कं. 97/अ–6/15–16 मे पारित आदेश दिनाक 29.2.2016 के विरूद्ध

मुकेश अग्रवाल 29-4-16 एडवोकेट ग्वालियर

महोदय,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1340–।।/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२–05–2016	यह निगरानी तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 97/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.2.16 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । 3– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन दिया कि मौजा छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 2973/2, 2975, 2976/2, 2977/2, 2979/2, 2980/3, 2988, 2989 रकवा कमंशः 0.049, 0.077, 0.008, 0.028, 0.028, 0.008, 0.061 कुल किता 8 में से विकीत रकवा 0.327 हे. भूमि पर आवेदक ने अनावेदक कं. 1 श्रीमती लल्लाबाई से रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 31.3.2015 के माध्यम से कय कीगई है इस कारण उक्त विकय पत्र के आधार पर विकेता के स्थान पर केता/ आवेदक के नाम नामांतरण किये जाने बावत आवेदन पेश किया। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 97/अ–6/2015–16 पंजीबद्ध किया इश्तहार का प्रकाशन किया।अनावेदक कं. 2 ता 6 ने	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपस्थित होकर आपत्ति पेश की तहसीलदार छतरपुर ने अपने आदेश दिनांक 29.2.16 द्वारा आपित्त स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।	
	4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।	
	5– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादग्रस्त भूमियां कुल किता 8 में से विक्रीत रकवा 0.327 हे. भूमियों की अनावेदक कं. 1 श्रीमती लल्ला बाई स्वत्व एवं आधिपत्यधारी थी उसे भूमि विकय करने का पूर्ण अधिकार था ऐसी स्थिति में लल्लाबाई द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया विकय पत्र दिनांक 31.03.2015 के आधार पर आवेदक को अपने नाम नामांतरण कराने का पूर्ण अधिकार है। विकेता अनावेदक कं. 1 लल्लाबाई ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी। अनावेदकगण कं. 2 ता 6 ने तहसील में इस आधार पर आपत्ति पेश की थी कि उनके पिता / पति हरीचरन कुशवाहा ने श्रीमती लल्ला बाई के पति प्यारेलाल कुशवाह से उक्त भूमि कय की थी तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्तिकर्ता यह प्रमाणित नहीं कर सके थे कि उक्त विकय पत्र के आधार पर उनके पिता का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हो गया था अथवा वर्तमान में आपत्तिकर्ता का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है। तहसील न्यायालय ने उक्त आपत्ति को बिना किसी समुचित कारण के स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1340-II/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त करने में भूल की है। इस प्रकार आवेदक ने निवेदन किया कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में विकेता श्रीमती लल्ला बाई के स्थान पर आवेदक का नामांतरण किये जाने के आदेश दिये जावे।	
	6- आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि भूमि ख.नं. 2973/2, 2975, 2976/2, 2977/2, 2979/2, 2980/3, 2988, 2989 रकवा कमंशः 0.049, 0.077, 0.008, 0.028, 0.028, 0.008, 0.061 कुल किता 8 में से विकीत रकवा 0.327 हे. अनावेदक कं. 1 श्रीमती लल्लाबाई की पैत्रिक भूमि है जो लल्लाबाई के पति द्वारा पारवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर लल्लाबाई को दी थी। जिसके अनुसार अपर अयुक्त सागर के प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 05.04.2007 के उपरांत तहसीलदार छतरपुर ने अपने आदेश दिंनाक 16.10.08 द्वारा लल्लाबाई के नाम नामांतरण स्वीकृत किया था। जिसके आधार पर लल्लाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। अनावेदकगण कं. 2 ता 6 के द्वारा	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तत आपत्ति आवेदन एवं आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आपित्तकर्ता के आवेदन के जबाव के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता अपने पति/ पिता हरीचरन कुशवाहा के नाम से जो विकय पत्र होना कहा जा रहा है उसके आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड तक कहीं भी हरीचरन का नाम दर्ज नहीं है न ही आपत्तिकर्ता का नाम दर्ज है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में हरीचरन का नाम नहीं होने एवं हरीचरन द्वारा अपील एवं माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित किये गये प्रकरणों में विकेता श्रीमती लल्ला बाई एवं केता आवेदक को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण एवं उक्त प्रकरण में पक्षकार न होने से उक्त न्यायालयों के आदेश केता / विकेता पर बंधनकारी होना प्रतीत नहीं होने से लल्ला बाई को अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि का विकय करने का एवं उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर केता / आवेदक को अपने नाम नामांतरण कराने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय ने रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण न कर आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन को निर्णीत करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर विकय पत्र दिनांक 31.03.2015 में वर्णित वादग्रस्तभूमि कुल किता 8 में से	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1340–11/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विकीत रकवा 0.327 हे. भूमि स्थित मौजा छतरपुर की भूमि का नामांतरण आवेदक के पक्ष में स्वीकृत कर आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर	